ालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

ासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/379
दायरा तिथि : 25.03.2022
आदेश तिथि : 31-10-22

प्रार्थी :–
श्रीमती पवन कंवर पत्नि श्री बाबुसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. जवानसिंह पुत्र कीकसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली
2. तहसीलदार बाली, जिला पाली

उपस्थितिः–
1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित.....प्रार्थी अभिभाषक की ओर से
2. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित .....अप्रार्थी सं. 01 की ओर से
3. श्री ललित कुमार.....नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधित अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने रावि. प्रकरण संख्या 12/2012(बी) अनवान पवनकंवर बनाम जवानसिंह वगैरा में दिनांक 10.03.2021 को पारित आदेश को रिव्यू करने
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 01, 02 सी.पी.सी)

आदेश दिनांक : 31-10-22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं 12/2017 (B) GCMS No 2017/00213 बअनवान पवन कंवर बनाम जवानसिंह वगैरा मे दिनांक 10.03.2021 के पारित आदेश को रिव्यू किए जाने का निवेदन किया। अपने रिव्यू प्रा. पत्र में प्रार्थीया द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि प्रार्थीया ने खसरा नंबर 757 में से रास्ता की मांग की थी जबकि न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 757 व 758 के बीचोबीच में से प्रार्थीया को रास्ता दिया है। जिस आदेश को रिव्यू किया जाना न्यायसंगत होने से पूर्व पारित आदेश को रिव्यू किए जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किए जाने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण सिंह सेसली ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र रिव्यू पिटीशन के प्रावधानों अनुसार परितोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रा. पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2021 में कानूनी एवं वाक्याती भूल रहने से आदेश 47 सी.पी.सी. के प्रोविजों अनुसार पारित आदेश में संशोधन करते हुए प्रार्थीया को खसरा नंबर 799 में से रास्ता दिया जावें। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील प्रार्थीया श्री नरपतसिंह बारवा ने निम्न कानूनी उद्धरण पेश किए:–

1.RRT 2014-15(Supp.) RRT 662 Devilal v/s Mahesh Chand & Anr.
2.2007(2) RRT 1057 Badrilal v/s Rewtilal & Anr.

वकील प्रार्थीया की दलीलों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी श्री नारायणसिंह सेसली द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी गई कि पारित आदेश में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। रिव्यू में बहुत ही सीमित scope है। रिव्यू के जरिये आदेश/निर्णय को उल्टा नहीं जा सकता। जिस निर्णय को प्रार्थीया द्वारा आक्षेपित किया गया है। उस निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया है कि धारा 251ए के तहत रास्ता तभी दिया जाएगा जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीया के पति बाबूसिंह के नाम से खसरा नंबर 756, 757, 758, 794 की कृषि भूमियां स्थित है और खसरा नंबर 798 की भूमि प्रार्थीया के पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम से खरीद की है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 798 में आने के लिए मुख्य सडक खसरा नंबर 752 से होते हुए खसरा नंबर 758, 794 व आगे खसरा नंबर 798 में आने का रास्ता उपलब्ध है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार बाली द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.09.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

पेज लगातार 02

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/379

अनवान श्रीमती पवन कंवर बनाम जवानसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन एवं आदेश 47 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 229 RTA में रिव्यू के संबंध में वर्णित सिद्धातों एवं वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धातों पर मनन के पश्चात् ज्ञात है कि रिव्यू का दायरा बहुत सीमित है और सीमित दायरें में तथ्यों पर न तो दुबारा विश्लेषण हो सकता है और न ही पहले के निर्णय में कोई मत प्रकट किया गया है, उस मत को पलटा जा सकता है। इस मामले में ऐसी कोई भूल प्रथम दृष्टया रिकार्ड पर परिलक्षित नहीं है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला अपीलीय है तथा अपीलीय मामले को रिव्यू के जरिये नहीं निर्णित किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 31–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली